

## कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा “कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधारोपण के लिए योजना चलाया जा रहा है।

### 1. योजना का उद्देश्य :-

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढीकरण।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध करा कर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

### 2. योजना में शामिल होने की पात्रता :-

इस योजनान्तर्गत राज्य के किसान अपने खेतों में या मेढ़ पर पॉप्लर पौधे लगाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने हेतु आवश्यक भूमि होनी चाहिये।

### 3. पॉप्लर पौधों (ई0टी0पी0) की प्रप्ति :-

इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/ लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधों निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 इंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

### 4. योजना में दिए जाने वाले लाभ :-

- लाभुकों को पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है।
- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर लाभुकों को प्रथम वर्ष के अन्त में ₹0 15/- द्वितीय वर्ष के अन्त में ₹0 10/- एवं तृतीय वर्ष के अंत में ₹0 10/- प्रति पौधा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
- पौधों पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होता है।

### 5. आवेदन कैसे करें—

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्र में वनप्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है पॉप्लर कृषि वानिकी योजना में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन माह सितम्बर से जनवरी तक किया जा सकता है तथा पॉप्लर ई0टी0पी0 माह जनवरी में प्राप्त किया जा सकता है।

**Online Apply**

Click Here

<http://forestonline.bih.nic.in/onlineapply/registrationform.aspx>